राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्याः	30 / 2024
जीसीएमएस संख्याः	2024 / 77
निर्णय दिनांकः	08.08.2025
दायर दिनांकः	03.04.2025

1. मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर जाति लीलगर निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 136 एलआर एक्ट

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। वादी की संयुक्त खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम मंगलवासी पटवार मण्डल जीली तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 157 के खेत खसरा नम्बर 17, 59, 61, 62, 63 में वादी का नाम असीन पुत्र रसूलमोहम्मद तथा रोही मंगलवासी के खाता संख्या 115 के खेत खसरा नम्बर 37, 82, 83 की भूमि में वादी का नाम नानू पुत्र रसूल मोहम्मद दर्ज है। वादी का सही नाम मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर है जो कि उसके अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

प्रश्नगत खेत रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गयी। जिसपर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का सही नाम मोहम्मद यासीन पुत्र रसूल बक्स अंकित है। असीन पुत्र रसूल मोहम्मद व नानू पुत्र रसूल मोहम्मद दोनों अलग–अलग नाम है लेकिन ये दोनों नाम मोहम्मद यासीन पुत्र रसूल बक्स के ही है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम मो0 यासीन अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है व प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में 157 के खेत खसरा नम्बर 17, 59, 61, 62, 63 में वादी का नाम असीन पुत्र रसूलमोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर तथा रोही मंगलवासी के खाता संख्या 115 के खेत खसरा नम्बर 37, 82, 83 में दर्ज खातेदार का नाम नानू पुत्र रसूल मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
सुजानगढ़

<u>अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई</u>

(ओ.20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

बाज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम सुजानगढ़, चूरू

व अलजाम श्री ओमप्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.)

1. मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर जाति लीलगर निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू

........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

..........प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट

मुकदमा नम्बर – 30 सन् 2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री ओमप्रकाश वर्मा** व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिस्सु व प्रतिवादी राजपैरोकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि अतः वाद वादी अन्तिम डिक्री पारित की जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में 157 के खेत खसरा नम्बर 17, 59, 61, 62, 63 में वादी का नाम असीन पुत्र रसूलमोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर तथा रोही मंगलवासी के खाता संख्या 115 के खेत खसरा नम्बर 37, 82, 83 में दर्ज खातेदार का नाम नानू पुत्र रसूल मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद यासीन लीलगर पुत्र रसुल बक्स लीलगर दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। तहसीलदार सुजानगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निजी ....ग........................ मुबलिक ....ग......................बाबत ...... ग ......खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगेरह .... ग ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक................ ग ....को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.08.2025 सन् 2025 को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू
सत्यमेव जयते

हस्ताक्षर.................................
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा.................................
सुजानगढ़

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		00
स्टाम्प वकालत नामा		00	स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक		00	मुतफरिक		
मीशान		00	मीजान		00

नोटः– इसी खर्चा फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना